

(संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका

संबन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि

नहीं।

हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रक्षेपों को,

निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना

सहमत है।

और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

प्रभागीय वनीधिकारी, झांसी की संसुति के आधार पर प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने की संसुति की जाती है।

दिनांक- 03/10/22

स्थान- झांसी

हस्ताक्षर

नाम- (कैलाश प्रकाश)

सरकारी मोहर वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक बुन्देलखण्ड वृत्त 00प्र0, झांसी